

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 86/2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उत्पन्न

बीलू देवी पत्नि देवीलाल माली निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा

- प्रार्थीगण

बनाम

1. गंगा पिता भज्जा रेगर निवासी अरनिया रासा
2. कैसा पिता भज्जा रेगर निवासी अरनिया रासा
3. महावीर पिता नाथू रेगर निवासी अरनिया रासा
- 4-5 ओगड, शकर पिता नन्दा माली निवासी अरनिया रासा
6. हीरा पिता रामनाथ मीणा निवासी अरनिया रासा
7. प्रेमदेवी पत्नि विजयसिंह बंजारा निवासी बंजारों का झोपड़ा डाबला कचरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री कल्याणमल धाकड़  
अधिवक्ता प्रार्थीगण

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 16/09/2020

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - प्रार्थी के ग्राम अरनिया रासा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1247 रकबा 0.44 है0, 1249 रकबा 0.32 है0, 1258 रकबा 0.76 है0 कुल किता 3 रकबा 1.52 है0 हैक्टेयर का प्रार्थी खातेदार / संयुक्त खातेदार काशतकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगद्दी करवाइ जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण वावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर वहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम अरनिया रासा संवत् 2078 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थी खातेदार/ संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगद्दी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा अरनिया रासा में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी/ संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 3 रकबा 1.52 है0 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगद्दी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगद्दी ऑफ सीजन में किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगद्दी हेतु कमिश्नर फीस 300/- रुपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगद्दी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। वाद तहसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/09/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

-54-  
(शिल्पा सिंह IAS)  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलक्टर  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश न्यायालय की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजवायें।

उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलक्टर  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा